भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *409

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

पथकर से छूट

*409. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने ट्रैक्टर और 'कंबाइन हार्वेस्टर' सहित सभी कृषि वाहनों को देशभर के टोल प्लाजा पर पथकर (टोल टैक्स) भुगतान से छूट दिए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कई टोल ऑपरेटर अभी भी 'कंबाइन हार्वेस्टर' मालिकों/चालकों से पथकर वसूल रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो देश के सभी टोल प्लाजा पर इस अधिसूचना का समान रूप से कार्यान्वयन न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

'पथकर से छूट' के संबंध में श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 409 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 में संशोधन हेतु दिनांक 14 मार्च, 2017 को राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 248(अ) जारी की है, जिसके अंतर्गत कृषि वाहनों, जैसे ट्रैक्टरों और कंबाइन हार्वेस्टरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ट्रैक्टरों को पहले से ही छूट दी गई थी। उक्त राजपत्र अधिसूचना में, "ट्रैक्टर" शब्द के स्थान पर "ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर" शब्द प्रतिस्थापित किया गया है।

(ख) से (ग) दिनांक 14 मार्च, 2017 की संशोधन अधिसूचना का अनुपालन सभी सार्वजनिक वित्त पोषित शुल्क प्लाजा और बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) शुल्क प्लाजा पर किया जा रहा है, जहां बोली की अंतिम तारीख दिनांक 14 मार्च, 2017 की इस अधिसूचना के बाद की थी। अन्य बीओटी (बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर) शुल्क प्लाजा के लिए, प्रयोक्ता शुल्क रियायत प्रदान करते समय राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के साथ पठित तत्कालीन लागू शुल्क राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार संबंधित रियायत करारों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क संग्रहित किया जाता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण लागू किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शुल्क प्लाजा से गुजरते समय सड़क प्रयोक्ता के फास्टैग खाते से केवल विशेष श्रेणी के वाहन के लिए लागू दर ही स्वचालित रूप से वसूली जाए।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)/भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) द्वारा टोल प्रबंधन एवं नियंत्रण केंद्र (टीएमसीसी) पोर्टल विकसित किया गया है ताकि शुल्क प्लाजा के वास्तविक समय लेनदेन विवरण की निगरानी की जा सके, किसी भी विसंगति की पहचान की जा सके और लेन संचालन की निरंतर निगरानी की जा सके।

गलत कटौती के मामलों में, राष्ट्रीय राजमार्ग (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 13 के अनुसार, केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, निष्पादन प्राधिकारी या रियायतग्राही द्वारा संग्रहित अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, का आकलन कर सकता है और उसे ऐसे प्राधिकारी या रियायतग्राही से वसूल सकता है, इसके साथ ही संग्रहित अतिरिक्त शुल्क के पच्चीस प्रतिशत के बराबर की अतिरिक्त राशि भी वसूल सकता है।

*****